केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067

******

प्रथम अपील सं CICOM/A/P/25/00072
संदर्भ संचिका सं . CICOM/R/P/25/00031
अपीलकर्ता श्री अनीस खान
[redacted]

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	09.01.2025
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	17.01.2025
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	04.02.2025 & 14.02.2025
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री बिजेंद्र कुमार CPIO (DR to IC AR) & श्री बाबू लाल CPIO (Dak Section)
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	27.02.2025
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	10.03.2025
निर्णय की तारीख	28.03.2025

1.मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 09.01.2025 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी : -

"3.A. - मैंने एक अपील दि. 31.12.2024 को आपके कार्यालय में मा. केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में किया था। मेरी शिकायत आपके कार्यालय में कब पहुंचेगी, मेरी शिकायत पर जो भी एक्शन लिया गया है सबका पूरा ब्यौरा दिया जाए।

3. B - मा. केंद्रीय सूचना आयोग को बदली करने या अपनी केस उनकी अदालत में न सुनवाई करने के लिए अपील कहाँ करनी पड़ती है, कृपया ब्यौरा दिया जाए। साथ में नियम की कापी भी दिया जाये।

3. C. - मा. केंद्रीय सूचना आयोग एकतरफा फैसला कर रही है। इनकी शिकायत किस विभाग में करना चाहिए कृपया वहां का नाम, पता बताया जाये।

3. D. - मा. महोदय, मैंने जो शिकायत किया था, मेरी शिकायत के बाद भी मेरी सुनवाई उसी अदालत में लगाई गई जिस कमीशन के खिलाफ हमने शिकायत किया था। कृपया नियम की कॉपी दिया जाए।

2. प्रदान की गई सूचना

श्री बिजेंद्र कुमार और श्री बाबू लाल, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों ने पत्र दिनांकित 04.02.2025 तथा 14.02.2025 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई –

Point 3 A – आपका पत्र दिनांक 31.12.2024 केंद्रीय सूचना आयोग में 07.01.2025 को प्राप्त हुआ और डायरी नंबर 100691 के माध्यम से डायरी लिखी गई। इसे फाइल संख्या - CIC/IBANK/A/2023/139714 के साथ जोड़ा गया है। आगे की कार्यवाही के लिए सम्बंधित रजिस्ट्री को भेज दिया गया है।

Point 3 B to 3 D – The sought information is clarification in nature and does not fall under section 2 (f) of the RTI Act, Hence, cannot be provided.

3. प्रथम अपील का आधार

"अपीलकर्ता को आधी अधूरी जानकारी मिलने की वजह से प्रथम अपील दायर की है।"

4. निर्णय

आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन CICOM/R/P/25/00031 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार ही है।आर.टी.आई अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) के अनुसार, केवल वही जानकारी जो सार्वजनिक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है, मौजूदा है या अंतर्गत है, वही जानकारी केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की जा सकती है। केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से ऐसी

जानकारी बनाने, एकत्र करने या व्याख्या करने की अपेक्षा नहीं की जाती है जो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है।

इसलिए इस प्रथम अपील में प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक : 28.03.2025

रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :

1.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

(S) 28/03/25 o/c

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
28 MAR 2025
D. No. ....
Initials..........